निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 49/2022
दायरा दिनांकः—28.06.2022
निर्णय दिनांकः— 25.03.2025

उनवान

1. फुलसिंह पुत्र मदनलाल आयु 45 वर्ष
2. बाबूलाल पुत्र मदनलाल आयु 45 वर्ष
3. जगन्नाथ पुत्र रामबक्स आयु 70 वर्ष
4. राजाराम पुत्र रामबक्स आयु 68 वर्ष जातियान लोधा निवासी ग्राम हान्याहेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. प्रभु पुत्र मथुरा आयु 65 वर्ष जाति लोधा निवासी ग्राम हान्याहेडी
2. नन्नू पुत्र बंशी आयु 30 वर्ष जाति लोधा निवासी ग्राम हान्याहेडी
3. पानाबाई बैवा बंशी आयु 70 वर्ष जाति लोधा निवासी ग्राम हान्याहेडी
4. सरकार जर्ये पटवारी हान्याहेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 25.03.2025

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री दौलतराम मीना — प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके माल नीमखेडा हल्का पटवारी हान्याहेडी तहसील छबडा जिला बारां राजस्थान में खाता संख्या 87 में स्थित खसरा नम्बर 09 रकबा 3 बीघा 03 बिस्वा. पैत्रिक आराजी स्थित है। जो 4—5 पीढ़ी पूर्व से एक गौत्र एंव परिवार में जयें फौती नामान्तरण दर्ज होती आयी है। हिस्सा 1/2 पर प्रार्थीगण काबिज काश्त जन्म से ही है। तथा हिस्सा 1/2 पर अप्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक परिवार एक बाप दादाओ कि सन्ताने है। तथा जिनका गौत्र गन्दनगाया है। उक्त वर्णित आराजी पैत्रिक होने से सभी प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण ने बाट — बराबर हिस्सा मौके पर कर रखे है तथा अपना अपना हिस्सा शांतिपूर्वक काश्त करते है। परन्तु वाद में वर्णित आराजी कि नकल लेकर देखी तो पता चला कि मधूरा लोधा पुत्र प्यारा के वारिसों के नाम, खाता मे दर्ज है। मथुरा के भाई रामबक्स के वारिसों के नाम खाते में दर्ज नहीं है। जिसके कारण वाद हैतुक उत्पन्न हुआ। मधूरा लोधा व रामबक्स सगे भाई थे तथा प्यारा लोधा के पुत्र है। और वाद मे वर्णित आराजी प्यारा लोधा के समय कि है। इसलिए सभी वारिसों को अपना अपना हिस्सा राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में दर्ज करवाने के वैधानिक अधिकार प्राप्त है। गलती राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

चारी से हुई है। जो रामबक्स के मरने के बाद फौती नामान्तरण में मिस्टेक होने के कारण नाम छूट जाने से रामबक्स लोधा के वारिसो के नाम जमाबन्दी में दर्ज नहीं हो पाये मौके पर सभी वारिस काबिज काश्त है। प्रार्थना पत्र का उद्देश्य जमाबंन्दी में परिवार सजरा अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के नाम अंकित करवाना है तथा सभी बटवारा भी करवाने के अधिकारी है। इसलिए न्यायालय से न्यायहित में बटवारां भी करवाना चाहते है। सभी अपना अपना हिस्सो को मौका पर पैमाईश करवाकर पत्थर गढी करवा लेने के अधिकारी है। अन्य आराजीयात मे सभी जगह सभी प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के नाम अंकित है। मात्र वाद में वर्णित आराजी में ही गड़बड है। जिसको शुद्ध करवाना आवश्यक है। यह कि बटवारां व प्रैत्रिक आराजी एवं हिस्सा शुद्ध करवाकर बटवारां व खातेदारी लेने के अधिकारी है। परिवारिक आराजी होने तथा मौके पर काबिज होने से राज्य सरकार के विरूद्ध कोई रिलीफ नही बनती इसलिए सरकार को लीगल नोटिस दिया जाना आवश्यक नही है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम नीमखेडा सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 87 पेश की गई। वकील अप्रार्थीगण द्वारा नकल जमाबन्दी ग्राम नीमखेडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 83 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम नीमखेडा नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2074 पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम नीमखेडा तहसील छबडा में स्थित है। जो पैत्रक आराजी है जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से ही 1/2 हिस्सा निहित है विवादित आराजी पैत्रक होने से प्रार्थीगण एवं अप्राथीगण मौके पर अपने – अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है प्यारा के दो लडके थे मथरा व रामबक्स थे दोनो सगे भाई थे। मथुरा के वारिसान का नाम खाते में दर्ज है रामबक्स के वारिसान का नाम खाते में नही है रामबक्स के मरने के बाद रामबक्स के फोती नामान्तरण में वारिसान का नाम छुट गया। विवादित आराजी के अलावा अन्य आराजी में सभी जगह प्राथीगण व अप्रार्थीगण के नाम अंकित है प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में गडबड हुई है जिसको जिसको दुरूस्त कराना आवश्यक है अप्रार्थीगण प्रार्थी के हिस्से की आराजी को जबरन बल पूर्वक बेदखल कर कब्जा करना चाहतें है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण ने असत्य तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत पेश किया है विवादित आराजी से प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध नही है यह भूमि प्रभु पुत्र मथुरा पानाबाई पुत्री मथुरा हिस्सा 2/3 नन्नु पुत्री बंशी, गीता, पुत्री बंशी, पानाबाई पत्नि बंशी हिस्सा 1/3 के नाम खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है प्रार्थीगण का भूमि से कोई सम्बन्ध नही है भूमि उनके खातेदारी एवं कब्जे काश्त में नही रही है प्रार्थना पत्र सर्वथा असत्य तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है प्रार्थी द्वारा भूमि के समस्त खातेदारान को पक्षकार नही बनाया है भूमि धारी राज. सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा को पक्षकार नही बनाया हे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज फरमाया जावें। जिस प्रकार प्रार्थीगण विवादित आराजी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

पैत्रक बता रहे है विवादित आराजी पैत्रक होना साबित नही किया है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम नीमखेडा तहसील छबडा सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 87 में प्रभु पुत्र मथुरा, पानाबाई पुत्री मथुरा हिस्सा 2/3 नन्नू पुत्र बंशी, गीता पुत्री बंशी, पानाबाई बेवा बंशी हिस्सा 1/3 दर्ज है प्रार्थीगण द्वारा सह खातेदार पानाबाई पुत्री मथुरा व गीता बाई पुत्री बंशी को पक्षकार नही बनाया है। प्रार्थी के हक अधिकरों का निस्तारण मूल वाद में किया जाना है। परन्तु इस स्तर पर किसी भी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा